सीमित निविदा सूचना

(अनुलग्नक 1) में दिए गए अनुसार विदेश और भारतीय पत्रिका/डाटाबेस की आपूर्ति के लिए दो बोली में (तकनीकी और वित्तीय) मोहरबंधित निविदा आमंत्रित किया जाता है ।

क्रसं	मदों का विवरण	ई एम डी	निविदा प्रपत्र का मुल्य्(	निविदा की प्राप्ति का अंतिम दिनांक	तकनीकी बोली खोलने का दिनांक
1	अनुलग्नक 1 में उल्लिखित वर्ष2017 के लिए विदेशी और भारतीय पत्रिका/डाटाबेस की चंदा	रु 32000/-	रु1000/-	31.08.2016	31.08.2016

निविदा अनुसूची संस्थान से या संस्थान वेबसाइट से डाउणलोड किया जा सकता है

वर्ष 2017 की विदेशी और भारतीय पत्रिकाएँ/डाटाबेस पूर्ति के लिए शर्तें एवं निबंधन

1. बोली लगाने वाले को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान/राज्य कृषि विश्व विद्यालय/केंद्रीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता प्राप्त अन्य विश्वविद्यालय को विदेश और भारतीय पत्रिकाओं की पूर्ति में पिछले पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बोली लगाने वाले को सरकार संस्थानों की सूची जिसे पत्रिकाएँ पूर्ति की गई थी प्रमाण के साथ संलग्न करना चाहिए।

2. तकनीकी बोली के साथ संस्थान द्वारा जारी टेंडर प्रपत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एकक, केंरोफ अ सं , कासरगोड के नाम पर आहरित 1000.00/-रुपए मूल्य का अहस्तांतरणीय बैंक ड्राफ्ट सहित संविदा बोली वाला द्वारा उद्दृत किया जाना चाहिए। संस्थान के वेबसाइट से संविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का संविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। संविदा का भाग **(क)** (तकनीकी बोली) दस्तावेज़ में आवरण पत्र, निर्धारित प्रारुप में बोली वाले का संक्षिप्त विवरण और टेंडर शुल्क सम्मिलित किया जाना चाहिए। टेंडर भाग **(ख**)(वित्तीय बोली) बोली वाला द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और टिकट लगी रसीद, बिल राशि से कटौती के अधीन आधार मूल्य पर प्रस्तावित एक समान कटौती दर उल्लिखित किया जाना चाहिए । प्रस्तुत किया गया टेंडर दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों में मोहर और हस्ताक्षर होना चाहिए।

3.बोली लगाने वाले द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिए कि संलग्न सूची के अनुसार सभी विदेशी और भारतीय पत्रिकाएँ पूर्ति करने की स्थिति में है।

4. चुने गए बोली वाला द्वारा कुल आदेश मूल्य का 100 प्रतिशत या एफ डी आर के लिए बैंक गारंटी जमा किया जाना होगा , जिसके बाद संस्थान अग्रिम भुगतान जारी करेगा । तथापि पत्रिकाओं की पूर्ति पूरा करने के बाद ही बैंक गारंटी विमोचित की जाएगी। बैंक गारंटी के लिए कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

5. सभी पत्रिकाओं के शीर्षक के सामने प्रकाशक द्वारा आबंटित ग्राहक संख्या फर्म द्वारा दिया जाना होगा।

6. द्वय मुद्रा में सुलभ पत्रिकाओं का बिल उस मुद्रा में किया जाएगा जिसके द्वारा भारतीय रुपए में परिवर्तन मूल्य निम्नतम है।

7.उपर्युक्त उल्लेखन के अनुसार बोली लगाने वाले द्वारा तकनीकी बोली के साथ 32,000/- रुपए राशि की बयाना जमा (ई एम डी) निदेशक, भाकृअनुप एकक, केंरोफअसं, कासरगोड के नाम पर वाणिज्यिक बैंक से आहरित डिमांड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/ एफ डी आर जमा किया जाना है। ई एम डी के ऊपर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी। संविदा दर के अंतिम रुप के बाद ही ई एम डी पूर्ण रुप से वापस किया जाएगा। संविदा की प्राप्ति दिनांक के अंतिम दिनांक से तीन महीने के अंदर ई एम डी का दावा नहीं किया जाए तो

टेंडर जब्त किया जाएगा । तथापित पत्रिकाओं की पूर्ति के लिए यदि निविदा स्वीकार करें तो निष्पादन सुरक्षा जमा/बैंक गारंटी देने के बाद ही ई एम डी वापस किया जाएगा ।

8. पत्रिकाएँ संतोषजनक रुप से/अच्छी स्थिति में वितरण किया जाना चाहिए । फर्म क्रमानुगत प्रकाशकों से विमानभाड़ा द्वारा अतिरिक्त खर्च के बिना पत्रिकाओं को प्राप्त करना होगा ।

9. आई पी प्रमाणीकरण के साथ आदेशित मुद्रित पत्रिकाओं की मुफ्त ऑनलाइन पहुँच जहाँ लभ्य है, फर्म द्वारा यह सूचित किया जाना है । अतिरिक्त भाड़े के बिना फर्म द्वारा ऑनलाइन पत्रिकाओं का सक्रियण किया जाना है ।

10. पत्रिकाओं की अप्राप्ति में फर्म द्वारा प्रकाशकों को अनुस्मारक भेजा जाना है और उसकी प्रतिलिपि केंरोफअसं, कासरगोड़ को भी भेजा जाना होगा । वेब आधारित प्रबंधन सहाय प्रदान किया जाना चाहिए ताकि संस्थान द्वारा सुपुर्दगी स्थिति चेक किया जा सकें । ऐसी सुविधाओं का वेबसाइट प्रिंटआउट दिया जाना है ।

11. पत्रिकाओं का प्रिंट/ऑनलाइन की आपूर्ति में देरी हुई है तो बोली वाले द्वारा 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक दण्ड दिया जाना होगा । आपूर्ति न की गई पत्रिकाओं के लिए 10 प्रतिशत दण्ड के साथ समानुपाती मूल्य फर्म द्वारा भाकृअनुप एकक, केंरोफअसं, कासरगोड़ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वापस किया जाना होगा । भुगतान की प्राप्ति के छह महीने के अंदर आपूर्ति न की गई पत्रिकाओं के लिए दण्ड के साथ पत्रिकाओं की चंदा की पूरी राशि भाकृअनुप एकक, केंरोफअसं को फर्म द्वारा वापस किया जाएगा । प्रकाशकों से प्राप्त साक्ष्य के साथ पत्रिकाओं की आपूर्ति न करने का वैद्य कारण पूर्तिकार द्वारा दिया जाए तो दण्ड आरोपित नहीं किया जाएगा और इस संबंध में बहुत पहले ही दस्तावेजों की प्रस्तुति की जानी चाहिए ।

पत्रिकाओं की आवधिकता, उसकी समय सीमा छूट एवं दण्ड

आवधिक/पत्रिकाओं की आवधिकता	पत्रिकाओं की पूर्ति के लिए समय सीमा	छूट अवधि	दण्ड
साप्ताहिक	प्रकाशन दिनांक से 25 दिनों के अंदर	7 दिन	देर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं के मूल्य का 2 प्रतिशत । छूट के दिनांक से प्रत्येक दिन और अधिकतम 15 दिन के लिए
पाक्षिक	प्रकाशन दिनांक से 25 दिनों के अंदर	10 दिन	देर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं के मूल्य का 2 प्रतिशत । छूट के दिनांक से प्रत्येक दिन और अधिकतम 15 दिन के लिए

मासिक	प्रकाशन दिनांक से 35 दिनों के अंदर	10 दिन	देर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं के मूल्य का 2 प्रतिशत। छूट दिनांक से प्रत्येक दिन और अधिकतम 15 दिन के लिए
तिमाही	प्रकाशन दिनांक से 45 दिनों के अंदर	10 दिन	देर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं के मूल्य का 2 प्रतिशत। छूट के दिनांक से प्रत्येक दिन और अधिकतम 15 दिन के लिए
ऑनलाइन पत्रिका यदि कोई है तो	प्रकाशक द्वारा उसके वेबसाइट में अपलोड करने के दिनांक से 7 दिन के अंदर	3 दिन	देर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं के मूल्य का 2 प्रतिशत।छूट के दिनांक से प्रत्येक दिन और अधिकतम 15 दिन के लिए
अन्य कोई आवधिकता	प्रकाशन के दिनांक से 35 दिनों के अंदर	10 दिन	देर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं के मूल्य का 2 प्रतिशत। छूट के दिनांक से प्रत्येक दिन और अधिकतम 15 दिन के लिए

12. फर्म द्वारा देरी से अदा की गई राशि पर संस्थान द्वारा प्रकाशक को कोई ब्याज नही दिया जाएगा।

13.फर्म द्वारा एक वचन दिया जाना चाहिए कि उसको विदेश और भारतीय पत्रिका ग्राहक के साथ और विदेशी और भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति है। फर्म द्वारा सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

14.सफल बोली वाला रु 100/- का न्यायिकेतर स्टांप पेपर पर भाकृअनुप- केंरोफअसं, कासरगोड़ के साथ एक करार में प्रवेश करना होगा जिसका वहन संविदाकर द्वारा किया जाना है।

15.फर्म के निष्पादन के आधार पर फर्म की सेवा समाप्त करने का अधिकार संस्थान पर आरक्षित है।

16. बिना कोई कारण बताए किसी भी अवस्था में किसी या सभी सामग्रियों को स्वीकार या तिरस्कार करने का अधिकार निदेशक, भाकृअनुप-केंरोफअसं पर आरक्षित है। निदेशक, भाकृअनुप-केंरोफअसं ,कासरगोड का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

17.चंदा की गई पत्रिकाओं की संख्या कलैंडर वर्ष के लिए है जो भाकृअनुप-केंरोफअसं , कासरगोड़ द्वारा किसी भी स्थिति में बढ़ता या घटता किया जाए।

18.सभी पत्रिकाओं की आपूर्ति कलैंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर तक) की जानी है और इस वर्ष के लिए खण्ड सं1 से शुरु किया जाना है जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

19. पत्रिकाओं का दर वर्तमान बैंक विनिमय दर लगाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
20.पूर्तिकर्ता द्वारा संविदा की व्यवस्था पालन करने में कोई भूल या कमीशन की चूक हो , पार्टी या तो संविदा द्वारा कोई दावा नहीं उठा सकता।
अगर ऐसी असफलता प्राकृतिक विपत्तियाँ ,नागरिक हड़ताल, कोई महत्ता के साथ पुष्टि और/या सरकार का विनियम, व्यापार प्रतिबंध या अन्य कारण जो पूर्तिकर्ता के स्वयं नियंत्रण के बाहर है , नोटिस या कोई घटना जो पार्टी या तो दूसरे से घटित हो, ऐसी घटना घटित होने के दो हफ्ते के अंदर दिया जाना चाहिए जो बल majeure परिस्थिति में आरोपित किया जा सकता है।

21. प्रकाशक/पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित दर मूल्य घटाव शर्त अर्थात संविदाकार द्वारा निम्न दर में कोई अन्य संगठन को यदि कोई मद प्रस्तुत किया जाता है फर्म तत्काल अधिसूचित करेगा ऐसी कटौती या बिक्री भकृअनुप-केंरोफअसं को तत्काल रुप से और ऐसी कटौती भाकृअनुप-केंरोफअसं को स्वत: लागू हो जाएगा।

22. बोली वाला द्वारा एक वचन दिया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को संतुष्ठ करने का प्रयास न करेगा या पत्रिका के प्रापण में कोई अन्य अनुचित राह का उपयोग करें तो भाकृअनुप-केंरोफअसं द्वारा चालू या चालू किए जाने वाले अन्य संविदा में भाग लेने में रोका जाएगा और उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

23. बोली की वैद्यता कैलेंडर वर्ष के लिए है और अतिरिक्त छह महीने को मिलाकर 18 महीने, 1 जनवरी 2017 से जून 2018 तक।

24. बोली वाला व्यवसायी संघ के भाग के रुप में नहीं होगा और अन्य कुछ कंपनियों के लिए क्वोटेशन सहाय करने में रखा जाएगा।

25.काली सूचि में नाम उल्लिखित नहीं की गई है तो बोली वाला न्यायिकेतर स्टांप पेपर में एक वचन देना है कि राज्य/केंद्र सरकार विभाग/अन्य संगठन द्वारा वे या उनके प्रमुख प्रकाशक /पूर्तिकर्ताओं के नाम काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

26.प्रस्तावित एकसमान कटौती का प्रतिशत अंकों में और शब्दों में सूचित किया जाएगा

27.संविदा से यदि कोई विवाद निकल आए तो भाकृअनुप-केंरोफअसं,कासरगोड़ का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

28. फर्म का तीन पूर्ववर्ती वर्षों का कुल कारोबार, आपूर्ति आदेश का निम्नतम पाँच गुना होना चाहिए । और दस्तावेज़ी प्रमाण के लिए विगत तीन वर्ष के तुलन-पत्र तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जा सकता है।

29.तकनीकी बोली प्रस्ताव के साथ पी ए एन/टी ए एन का प्रमाण संलग्न किया जाना होगा ।

30. फर्म द्वारा वेब आधारित दावा प्रबंधन सहाय प्रदान किया जाना चाहिए जिसके लिए दस्तावेज़ी प्रमाण वेबसाइट प्रिंटआऊट के रुप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

31.भाकृअनुप संस्थान/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केंद्रीय विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और भारतीय तकनीकी संस्थानों को विदेशी और भारतीय पत्रिकाओं की आपूर्ति के लिए कम से कम वर्तमान आपूर्ति आदेश के समान मूल्य के दो आपूर्ति आदेश का प्रमाण फर्म द्वारा संलग्न करना होगा ।